खमन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
ुरदेव सिंह पुत्र वजीरसिंह (फौत) जाति जटसिख
12/1 पालकौर पत्नी गुरदेव सिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
12/2 सिमरजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी पालसिंह जाति जटसिख निवासी मुरादवाला दलसिंह तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब
12/3 सुखजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी मागेआणा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
12/4 बेअन्त कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी कलंवत सिंह जाति जटसिख निवासी मुरादवाला तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब
12/5 कुलवन्त कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मुरादवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
13 जसकरण सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
14 गुरमेल सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
15 अमीर चन्द पुत्र मेघामल जाति महाजन निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
16 देशराज पुत्र मेघामल जाति महाजन निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
17 वली मोहम्मद पुत्र झूला जाति लबान गुजर निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
18 मुकदलाल पुत्र मेघामल जाति महाजन निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
19 सरजीत सिंह पुत्र जीवन सिंह (फौत)
19/1 गोविन्द सिंह पुत्र सरजीत सिंह पुत्र जीवन सिंह (फौत) कारीगर सिख सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
19/2 किशन सिंह पुत्र सरजीत सिंह पुत्र जीवन सिंह (फौत) कारीगर सिख सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
20 अजायब सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति तरखान निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
21 सीताराम पुत्र मेघामल जाति महाजन निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
22 हेमराज पुत्र मेघामल जीवन सिंह जाति अग्रवाल निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
23 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता - वादी
2 श्री नवदीप कड़वासरा अधिवक्ता - प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2, 2, 3, 4/1 ता 4/4, 5, 6, 7, 8/2, 9/1, 10, 11, 12/1 ता 12/5, 13, 14
3 सुश्री लवप्रीत कौर - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8/1, 8/3
4 एकपक्षीय कार्यवाही - 9/2, 9/3, 15 ता 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22
5 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 23

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

-:<u>निर्णय</u>:-

दिनांक 10.11.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि प्रतिवादीगण के नाम चक 3 एसटीडी

5

संख्या 166/152 के प.नं. 140/242 (34) कि.न. 25 प.नं. 140/243 (55) कि.नं. 5/2 प.नं. 141/243 (54) कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 12, 19, 22 प.नं. 44 (64) कि.नं. 2/1, 2/2 कुल 2.530 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है प्रति जमाबंदी वाद पत्र हैं। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि जो पूर्व में चक 24 एफटीपी हाल एसटीडी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है प्रतिवादी संख्या 20 अजायबसिंह व प्रतिवादी संख्या और 19/2 के पिता सरजीत सिंह को प्राप्त चक 3 एसटीडी (पूर्व चक 24 एफटीपी) में दी संख्या 20 अजायब सिंह ने जरिए बैयनामा दिनांक 20.10.1977 को प.नं. 141/243 कि.नं. 1 की 14 बिस्वा कि.नं. 10/.253 कुल 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादी या 2 जसपाल सिंह को एवं प.नं. 140/243 (55) कि.नं. 5 मे 7 बिस्वा प.नं. 141/243) कि.नं. 1 मे 6 बिस्वा व कि.नं. 2/.253 कुल 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादिया संख्या 3 पाल कौर को व प.नं. 140/242 (34) कि.नं. 25/.253 प.नं. 140/243 (55) कि.नं. 5 मे बिस्वा कुल 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 के पति-पिता भगवत सिंह महेन्द्रपाल सिंह ने खरीद की व प्रतिवादी संख्या 19/1 व 19/2 के पिता सरजीत सिंह से तिवादी संख्या व 5, 6, 7 ने प.नं. 141/243 (54) कि.नं. 9, 12, 19, 22 प.नं. 41/244 (64) कि.नं. 2 कुल 1.265 मे से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/3 के पिता पृथ्वीपाल सिंह पुत्र जगदेव सिंह ने 1/6 हिस्सा खरीद किया व प्रतिवादी संख्या 9/1 से 9/3 के पति-पिता गुरसाहेब सिंह ने व प्रतिवादी संख्या 10 नायबसिंह ने 1/6 बहिब खरीद किया यानि प्रतिवादी संख्या 9 से 9/3 के पति-पिता ने 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 ने 1/12 हिस्सा खरीद किया व प्रतिवादी संख्या 13, 14 ने बहिब 1/6 यानि प्रत्येक को 1/12 हिस्सा खरीद किया व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2 के पिता मोहर सिंह व प्रतिवादी संख्या 11 ने बहिब 1/6 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12/1 से 12/5 के पिता/पति गुरदेव सिंह पुत्र वजीरसिंह ने 1/6 हिस्सा खरीद किया यानि प्रत्येक ने 1/30 प्राप्त हुआ वादी एवं प्रतिवादीगण इसी प्रकार खरीद शुदा रकबा पर पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, प्रमाणित बैयनामा सलंग्न वाद पत्र हैं। वरवक्त पंजीबद्ध बैयनामा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा मौका पर संभला दिया किन्तु रकबा अपवादित श्रेणी मे होने के कारण व बैयनामा का वादीगण को पूर्व मे ज्ञान के अभाव मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नहीं हो पाया जिस कारण वादीगण के खातेदार काश्तकारी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 ने उक्त भूमि में अपना हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है जिसके पश्चात् उक्त भूमि में वादी खातेदार काश्तकार है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवा कर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने को अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण सख्या 15 से 22 का कब्जा मौका पर नहीं है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रकबा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी हैं।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। श्री नवदीप कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2, 2, 3, 4/1 ता 4/4, 5, 6, 7, 8/2, 9/1, 10, 11, 12/1 ता 12/5, 13, 14 की ओर से हाजिर रहे। प्रतिवादी सं. 8/1, 8/3 की ओर से अधिवक्ता सुश्री लवप्रीत कौर उपस्थित। प्रतिवादी सं. 9/2, 9/3, 15 ता 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 4/1, 4/3, 4/4 द्वारा जवाब इकबाल पेश कर अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 4/2 के पक्ष में तर्क किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 8/1, 8/3 द्वारा जवाब इकबाल पेश कर अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 8/2 के पक्ष में तर्क किये जाने का निवेदन

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2 द्वारा जवाब इकबाल पेश कर अपना हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क ने का निवेदन किया है।

ादी एवं प्रतिवादीगण का वाद/प्रतिदावा क्लेम में अनुतोष विभाजन का होने के कारण ार हनुमानगढ़ से वाद ग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, विभाजन प्रस्ताव ोने पर वादी द्वारा अन्तर्गत प्रावधान आदेश 18 नियम 4 दिवानी प्रकिया संहिता साक्ष्य के में शपथ पत्र प्रस्तुत इस आश्य का किया है कि वाद ग्रस्त आराजी जो कि वर्तमान में चक टीडी का रकबा है जो कि पूर्व में चक 24 एफटीपी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज था जमांबदी 3 एसटीडी प्रदर्श संख्या 1 है वाद ग्रस्त आराजी पूर्वजों द्वारा खरीद किये जाने के बैयनामें प्रदर्श संख्या 2, 3 है वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2012-2015 खाता संख्या 98-99 में वली मोहम्मद वगैरा में कुल खाता 634 हिस्सा खसरा नं. 228 मी. में 22 6 बिस्वा खसरा नं. 541 में 9 बिघा 8 बिस्वा कुल 31 बिघा 14 बिस्वा भूमि जो कि दारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त शपथ पत्र में साक्ष्य के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2004-07 में सरीक वगैरा में कुल खाता संख्या 1267 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज का जिसमें मोहम्मद ीक का कुल 637 हिस्सा था जो मो. सदीक के पाकिस्तान जाने पर उक्त 633 हिस्सा द्वारा न्तकाल संख्या 242 रास्ट्रपति भारत सरकार हो गया जो प्रदर्श 4 है उक्त खाता में शेष रकबा 34 हिस्सा खातेदारी दर्ज रहा जो कि जमाबंदी प्रदर्श संख्या 2 सम्वत् 2012-2015 हैं। शेष 34 हिस्सा में से नवाब के नाम 138 हिस्सा दर्ज था जो कि राष्ट्रपति भारत सरकार कभी दर्ज नहीं हुआ वर्तमान जमाबंदी में प्रश्नगत रकबा सहवन ब्रुटिवश राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है जोकि गलत है को हटाने का वादी अधिकारी हैं के आश्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया शपथ पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नो-ओबजेक्शन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2025 द्वारा वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./2025/2850 दिनांक 01.08.2025 द्वारा राजस्व मण्डल नियम 18 ता 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। उभयपक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। पत्रावली मौजूद दस्तावेज संवत 2004-2007 ग्राम नवां व संवत 2008 से 2012 व संवत 2012-2015 खाता सं. 3/2, 98, 99 व इंतकाल सं. 188 व 242 व नक्शा खसरा सं. 541 चकबंदी पूर्व जमाबंदी चक 24 एफटीपी वर्तमान चक 3 एसटीडी प्रदश करवाये गये। नक्शा खसरा सं. 228 जो चक 2 केकेडब्ल्यू व चक 4 केकेडब्ल्यू में पैमूद हुआ। वादी का कथन है कि हस्तगत प्रकरण में रकबा जो कि पूर्व में जमाबंदी 2004-2007 व 2008-2011 में मो. सदीक के नाम 633 हिस्सा व वली मोहम्मद के नाम 634 हिस्सा, नवाब वल्द पीरा 188 हिस्सा कुल 1267 हिस्सा यानि 63 बीघा 7 बिस्वा दर्ज रिकार्ड रहा था। उक्त 63 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो खसरा नं. 541 में 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 228 में 44 बीघा 12 बिस्वा कुल 63 बीघा 7 बिस्वा दर्ज रिकार्ड रही थी। उक्त भूमि मूल रूप से दो भाईयों यानि सदीक व वली मोहम्मद के नाम दर्ज थी जिसमें से वली मोहम्मद ने अपना 1/2 हिस्सा में से 188 हिस्सा नवाब वल्द पीरा को बेचान किया इस प्रकार वली मोहम्मद के पास शेष हिस्सा 446 रहा।

इसके पश्चात् जरिये नामान्तकरण सं. 188 द्वारा वली मोहम्मद ने अपना 446 हिस्सा में से 246 हिस्सा यानि 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि हेमराज आदि को खसरा नं. 228/1 में से बेचान किया व शेष 200 हिस्सा वली मोहम्मद के नाम दर्ज रिकार्ड रहा। खसरा नं. 541 में 9 बीघा 7 बिस्वा मो. सदीक के कब्जाकाश्त में था व 9 बीघा 8 बिस्वा नवाब वल्द पीरा के कब्जाकाश्त में रहा जो जमाबंदी संवत 2004-2007 में दर्ज है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

रिये नामान्तकरण सं. 242 द्वारा सदीक वल्द फूला का हिस्सा इवेन्यू घोषित होने से मो. का खसरा नं. 228 मिन में 22 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं. 541 में 9 बीघा 7 बिस्वा राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज हुआ व शेष खाता वली मोहम्मद वल्द फूला 200 हिस्सा, नवाब पीरा 188 हिस्सा व हेमराज आदि का 246 हिस्सा शेष रहा जो जमांबंदी संवत -2015 खाता सं. 3/2 में कुल 634 हिस्सा का खाता में वली मोहम्मद 200, नवाब वल्द 188 हिस्सा व हेमराज आदि 246 हिस्सा खसरा नं. 228 मिन 22 बीघा 6 बिस्वा खसरा 41 मिन 9 बीघा 8 बिस्वा का अंकन रहा जिसमें राष्ट्रपति भारत सरकार का अंकन नहीं है। वादग्रस्त भूमि जो कि खसरा नं. 541 की भूमि है जिसका कुल रकबा 18 बीघा 15 में मो. सदीक का 1/2 हिस्सा यानि 9 बिघा 7 बिस्वा राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज हुआ व मोहम्मद द्वारा पूर्व में नवाब वल्द पीरा को 9 बिघा 8 बिस्वा यानि 188 हिस्सा जो चक 24 थ्रीपी वर्तमान चक 3 एसटीडी में पैमूद हुआ उक्त पैमुदगी 18 बीघा 15 बिस्वा जो 19 बीघा रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई, यह रकबा मो. सदीक का खसरा 541 में 9 बीघा 7 बिस्वा ट्रपति भारत सरकार दर्ज हुआ जो कि भागसिंह हरिसिंह पि. जवाहर सिंह को प.न. 140/242 .न. 24 प.न. 141/143 कि.न. 11, 20, 21 प.न. 140/243 कि.न. 4, 6, 7, 15, प.न. 41/244 कि.न. 1 कुल 9 बीघा आवंटन हुआ शेष प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि प.न. 140/242 कि. . 25 प.न. 140/243 कि.न. 5/1, 5/2, प.न. 141/243 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 0, 12, 19, 22 प.न. 141/244 कि.न. 2/1, 2/2 कुल 2.530 हैक्टेयर जो कि पूर्व में चक 24 एफटीपी वर्तमान चक 3 एसटीडी नवाब वल्द पीरा के कब्जाकाश्त में रही जो कि कालांतर में अजायब सिंह- सरजीत सिंह के पक्ष में बेचान किया गया। वही रकबा वर्तमान जमाबंदी में मोजूद है जो अजायब सिंह व सरजीत सिंह द्वारा वादी एंव प्रतिवादीगण के पर्वूजों का खरीदशुदा रकबा है।

उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत आराजी 2.530 हैक्टेयर में राष्ट्रपति भारत सरकार का अंकन है जो कि त्रुटीवश होना साबित हो रहा है इसलिए वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री कर राष्ट्रपति भारत सरकार का अंकन हटाया जाकर घोणणा व विभाजन की डिक्री प्रदत की जानी उचित प्रतीत होती है।

उपलब्ध दस्तावेजों व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद, वादी व प्रतिदावा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वाद वादी एवं प्रतिदावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- वादी चनप्रीत सिंह .106 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 सुखमन्द्र सिंह 0.105 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 5 चमकौर सिंह, प्रतिवादी सं. 6 शिवराज सिंह प्रतिवादी सं. 7 राजसिंह ब.हि. ब. 0.211 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 8/2 अमृतपाल सिंह 0.211 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 9/1 जसवीर कौर, प्रतिवादी सं. 9/2 हरमीत सिंह, प्रतिवादी सं. 9/3 हरदीप सिंह ब.हि.ब. 0.106 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 10 नायब सिंह 0.105 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 12/1 पालकौर, प्रतिवादी सं. 12/2 सिमरजीत कौर प्रतिवादी सं. 12/3 सुखजीत कौर, प्रतिवादी सं. 12/4 बेअन्त कौर, प्रतिवादी सं. 12/5 कुलवन्त कौर ब.हि.ब. 0.210 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 13 जसकरण सिंह, प्रतिवादी सं. 14 गुरमेल सिंह ब.हि.ब. 0.211 हैक्टेयर- चक 3 एसटीडी प.न. 141/243 मु.न. 54 कि.न. 9, 12, 19, 22 कुल 1.012 हैक्टेयर प.न. 141/244 मु.न. 64 कि.न. 2/1/.228, 2/2/.025 कुल . 253 हैक्टेयर महायोग 1.265 हैक्टेयर।

प्रतिवादी सं. 2 जसपाल सिंह 0.431 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 3 सुखपाल कौर 0.417 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 4/2 कंवलप्रीत 0.417 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर- चक 3 एसटीडी प.न. 140/242 मु.न. 34 कि.न. 25/.253, प.न. 141/243 मु.न. 54 कि.न. 1/1/.228, 1/2/.

2/1/.228, 2/2/.025, 10/.253, कुल .759 हैक्टेयर प.न. 140/243 मु.न. 55 कि.न. 28, 5/2/.025 कुल .253 हैक्टेयर महायोग 1.265 हैक्टेयर। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड न कर खाता व रकमराज अलग कायम किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। दार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रामदगी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग ।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया र, सरे इजलास सुनाया गया।

– रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ